



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062020-220003
CG-DL-E-18062020-220003

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942
No. 150]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISTHA 28, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

प्रारंभिक जांच परिणाम

मामला सं. एडीडी-(ओआई) 05/2020

विषय: चीन जन. गण., मलेशिया और चीनी ताइपेयी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पाउडर रूप में ब्लैक टोनर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्रारंभिक जांच परिणाम।

फा. सं. 6/6/2020-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मै० प्यौर टोनर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. और मै. इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लि. (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण, मलेशिया और चीनी ताइपेयी (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पाउडर रूप में ब्लैक टोनर" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु, विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी या ब्लैक टोनर भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्राधिकारी ने प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 6/6/2020-डीजीटीआर, दिनांक 10 फरवरी, 2020 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसके तहत नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत की गई थी ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनराधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

- i. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
- (क) प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत की कार्यवाई से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावास को अधिसूचित किया।
- (ख) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 10 फरवरी, 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- (ग) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों और ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गए पतों के अनुसार जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी थी तथा उनसे विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था।
- (घ) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध करायी थी।
- (ङ.) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देश के निर्यातकों / उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों / निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उन्हें भी भेजी गई थी।
- (च) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी।
- i. हुबेई फॉर ईस्ट, चीन जन.गण.
- ii. वुहान प्वाइंट रोल, चीन जन.गण.
- iii. हंडान हैंगुआंग, चीन जन.गण.
- iv. वुक्सी जियाटिंग, चीन जन.गण.
- v. डियांगलॉग, चीन जन.गण.
- vi. नानजिंग टेसाइन, चीन जन.गण.
- vii. कोमेट, चीन जन.गण.
- viii. वुहान ताइवान टोनर एंड डेवलपर लिमिटेड, चीन जन.गण.
- ix. जद्दी, मलेशिया
- x. टीटीआई, चीनी ताइपेई

- (छ) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना मंगाने के लिए आयातक प्रश्नावली भेजी थी।
- वेदिका कंप्यूटर प्रा. लि.
 - डाटालिंग इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन
 - अतुल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
 - कार्टरिडगेवाला डॉट कॉप
 - कॉपीटर्न टेक्नोलॉजी
 - इंद्रियानी सेल्स प्रा. लि.
 - बेस्ट मेगा इंटरनेशनल
 - सुमंगलम इंटरनेशनल प्रा. लि.
 - रेंक ऑफिस ऑटोमेशन प्रा. लि.
 - इमेज स्टार प्रिंट सोल्यूशन प्रा. लि.
- (ज) प्राधिकारी ने अनुरोध करने पर निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर (ईक्यूआर) प्रस्तुत करने के लिए अनेक बार समय बढ़ाया था जिसे डीजीटीआर की वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 10 जून, 2020 है। तथापि, समय बढ़ाते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग को अंतरिम राहत प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- (झ) प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय अंश तथा अद्यतन आंकड़ों को हितबद्ध पक्षकारों के लिए अनुरोध करने पर उपलब्ध रखा था।
- (ञ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद उसके विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- (ट) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (ठ) आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना / आंकड़ों की प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ संभव सीमा तक जांच की गई है। विस्तृत सत्यापन उचित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।
- (ड) वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 (9 माह) की है। तथापि, क्षति जांच अवधि पर अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018, अप्रैल, 2018 – मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधि पर विचार किया गया है।
- (ढ) इस प्रारंभिक जांच परिणाम में *** गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना दर्शाता है।
- (ण) प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.22 रुपए है।
- ग. **विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**
3. जांच शुरूआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

- क. विचाराधीन उत्पाद पाउडर रूप में ब्लैक टोनर है। टोनर का प्रयोग कागज पर मुद्रित पाठ और चित्र के रूप में लेजर प्रिंटर, फोटो कॉपियर, डिजिटल मल्टी फंक्शन डिवाइस (एमएफडी) आदि में किया जाता है।
- ख. पीयूसी को सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण 37079010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, पीयूसी का आयात 37079090 कोड के अंतर्गत भी किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- ग. निम्नलिखित टोनर जांच के दायरे में नहीं आते हैं।
- कलर टोनर
 - एमआईसीआर टोनर (चैकों के मुद्रण के लिए प्रयुक्त विशिष्ट टोनर)
 - मुद्रण उपकरणों के मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग के लिए आयातित टोनर
 - काट्रेज में टोनर
 - तरल रूप में टोनर

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :
- (क) वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद पाउडर रूप में ब्लैक टोनर है। इसका प्रयोग कागज पर मुद्रित पाठ और चित्र के रूप में लेजर प्रिंटर, फोटो कॉपियर, डिजिटल मल्टी फंक्शन डिवाइस (एमएफडी) आदि में किया जाता है।
- (ख) निम्नलिखित टोनर जांच के दायरे में नहीं आते हैं।
- कलर टोनर
 - एमआईसीआर टोनर (चैकों के मुद्रण के लिए प्रयुक्त विशिष्ट टोनर)
 - मुद्रण उपकरणों के मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग के लिए आयातित टोनर
 - काट्रेज में टोनर
 - तरल रूप में टोनर
- (ग) विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय शीर्ष 37 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 37079010 है तथापि, आयात आंकड़ों से यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु को 37079090 एच एस वर्गीकरण के अंतर्गत भी आयात किया गया है।
- (घ) आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

6. पीयूसी संबंधित मुद्दों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच और समाधान किया गया है।
- (क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) “पाउडर रूप में ब्लैक टोनर” है।
- (ख) निम्नलिखित प्रकार के टोनर जांच के दायरे में नहीं आते हैं।

- i. कलर टोनर
 - ii. एमआईसीआर टोनर (चैकों के मुद्रण के लिए प्रयुक्त विशिष्ट टोनर)
 - iii. मुद्रण उपकरणों के मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग के लिए आयातित टोनर
 - iv. उपकरण
 - v. काट्रेज में टोनर
 - vi. तरल रूप में टोनर
- (ग) रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। यह नोट किया जाता है आयातित और घरेलू रूप से बेचे गए उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इनका एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।
- (घ) पीयूसी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय शीर्ष 37 “फोटोग्राफिक या सिनेमेटोग्राफिक वस्तुएं” के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है। 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 37079010 है तथापि, आयात आंकड़ों से यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं को 37079090 एच एस वर्गीकरण के अंतर्गत भी आयात किया गया था। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और उसकी स्थिति

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-
- क. आवेदक मै. प्यौर टोनर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. तथा मै. इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादक हैं। भारत में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है।
 - ख. आवेदकों ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे भारत में किसी आयातक या संबद्ध देशों से किसी निर्यातक से संबंधित भी नहीं हैं।
 - ग. आवेदकों का पीयूसी के कुल भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है। इस प्रकार आवेदक पीयूसी के कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा रखते हैं और तदनुसार नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करते हैं और घरेलू उद्योग हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

8. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

9. नियमावली का नियम 2(ख) निम्नानुसार है: -

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से हैं, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

10. यह नोट किया जाता है कि मै. प्यौर टोनर एंड डेवलपर्स प्रा. लि. तथा मै. इंडियन टोनर्स एंड डेलपर्स लि. द्वारा आवेदन दायर किया गया है। आवेदकों ने सूचित किया है कि वर्तमान में भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य उत्पादक नहीं है।
11. आवेदकों के पास कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है और यह प्रमुख हिस्सा बनता है। यह नोट किया जाता है कि आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे भारत में किसी आयातक या संबद्ध देशों से किसी निर्यातक से संबंधित नहीं हैं।
12. तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करते हैं और घरेलू उद्योग हैं।
- ड. **बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार(एमईटी) सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**
13. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-
चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य
14. चीन जन.गण. को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए क्योंकि विगत वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा और डब्ल्यू टी ओ के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनेक पाटनरोधी जांचों के प्रयोजनार्थ उसे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। यदि संबंधित फर्म/उत्पादक/निर्यातक पैरा 8 (3) में निर्धारित मापदंडों के आधार पर उक्त मान्यता का खंडन करने में सक्षम न हों।
15. चीन की अर्थव्यवस्था के कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतर सरकारी हस्तक्षेप की भारी मात्रा को देखते हुए चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना आवश्यक है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि चीन की अर्थव्यवस्था को राज्य की शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और देश की अर्थव्यवस्था में राज्य के तंत्र का भारी हस्तक्षेप और नियंत्रण है। डब्ल्यू टी ओ में चीन के शामिल होने के अंतर्गत उसे बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करना स्वतः-स्फूर्त नहीं है बल्कि एक्सेसन प्रोटोकॉल में उल्लिखित पूर्व शर्तों के अनुपालन के अधीन है।
16. प्राधिकारी ने सरकार द्वारा नियंत्रित विनिमय दर के आधार पर बिल्कुल हाल के जांच परिणाम (चीन से विट्रीफाइड टायलों के मामले में अंतिम जांच परिणाम सं. 14/14/2014-डीजीएडी दिनांक 8 अप्रैल, 2017 देखें) में भी निर्यातकों के एमईटी दावे का अस्वीकृत किया है।
17. उपर्युक्त के मद्देनजर चीन की फर्मों के लिए सामान्य मूल्य अनुबंध-1 के पैरा-7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। पैरा 1 के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी उचित तीसरे देश को चुनना पहले विकल्प के रूप में अपेक्षित है। तथापि, घरेलू उद्योग बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तु की प्रचलित कीमतों का कोई ब्यौरा प्राप्त करने में असमर्थ रहा है क्योंकि यह सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अतः घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. के लिए समान उत्पाद हेतु भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत को तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर निर्धारित किया है। इस पद्धति पर चीन जन.गण. के विरुद्ध पूर्ववर्ती जांचों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

मलेशिया तथा चीनी ताइपेई के लिए सामान्य मूल्य

18. आवेदक ने दावा किया है कि उन्होंने मलेशिया तथा चीनी ताइपेयी में घरेलू कीमतों की सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया है। तथापि, आवेदक इन देशों में संबद्ध वस्तु की प्रचलित कीमतों का कोई ब्यौरा प्राप्त करने में असमर्थ रहा है क्योंकि यह सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अतः घरेलू उद्योग ने मलेशिया और चीनी ताइपेयी के लिए समान उत्पाद हेतु भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत को तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर निर्धारित किया है।

चीन जन.गण., मलेशिया तथा चीनी ताइपेयी के लिए निर्यात कीमत

19. संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त सौदावार आंकड़ों के अनुसार प्रस्तावित जांच अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन, ऋण लागत और अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजन किए गए हैं।

चीन जन.गण., मलेशिया तथा चीनी ताइपेयी के लिए पाटन मार्जिन

20. ऊपर की गई चर्चानुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. बाजार अर्थव्यवस्था दावों, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और संबद्ध देशों के पाटन मार्जिन के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उत्तर नहीं दिया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

22. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से अनेक अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा प्रश्नावली का उत्तर देने हेतु कई बार समय बढ़ाया गया है। तथापि, यह नोट किया गया है कि समय बढ़ाते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग को अंतरिम राहत प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

23. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद - 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है :

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात

करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

24. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में दिए गए उपबंध 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, एक्सेशन प्रोटोकाल के 15 (क) (i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ के 2.2.1.1 के अंतर्गत उपबंध में भारतीय नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदत्त सूचना/ आंकड़ों द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. से प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
25. तदनुसार, चीन जन.गण. से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

26. जांच शुरुआत के स्तर पर प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद सामान्य मूल्य परिकलित किया था क्योंकि आवेदकों ने दावा किया है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में प्रचलित संबद्ध वस्तु के लिए कीमत के ब्यौरे प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं। जांच शुरुआत पर प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत सूचना का उत्तर देने और इस निर्धारण के संगत सूचना प्रस्तुत करने की सलाह दी थी कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार किया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अभिज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं। गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मान्यता के खंडन के अभाव में अब तक चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार कार्रवाई करना उचित समझा गया है। अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की लागत को बिक्री, सामान्य और तर्कसंगत लाभ सहित प्रशासनिक व्यय के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर भारत में उत्पादन लागत के अनुसार सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

मलेशिया और चीनी ताइपेई के लिए सामान्य मूल्य

27. मलेशिया और चीनी ताइपेई से निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की लागत को तर्कसंगत लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

चीन जन.गण. मलेशिया और चीनी ताइपेई के लिए निर्यात कीमत

28. मलेशिया और चीनी ताइपेई से निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। चीन के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में कतिपय खामियां पाई गई और बताई गई हैं। तदनुसार, नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर संबद्ध देशों के संबंध में निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन, ऋण लागत और अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

29. ऊपर यथापरिकलित सामान्य मूल्य और यथा निर्धारित निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	चीन जन.गण.	चीनी ताइपेई	मलेशिया
परिकलित सामान्य मूल्य	रू./मी.ट.	***	***	***
निवल निर्यात कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***
पाटन मार्जिन	रू./मी.ट.	***	***	***
पाटन मार्जिन	अम.डॉ./मी.ट.	***	***	***
पाटन मार्जिन %	%	***	***	***
पाटन मार्जिन % रेंज	% रेंज	20-40	0-20	60-80

च. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध**घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

30. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात आधार वर्ष में 2203 एम टी से बढ़कर पी ओ आई (ए) के दौरान 3,107 एमटी. हो गए हैं अर्थात् इनमें 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में वर्ष 2017-18 और 2018-19 की तुलना में पीओआई (ए) में भारी वृद्धि हुई है।
- ख. कुल आयातों में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों का हिस्सा पीओआई में 88.03 प्रतिशत रहा है जो काफी अधिक है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा आक्रामक पाटन के कारण घरेलू बाजार में काफी अधिक बाजार हिस्सा हथियाने सक्षम रहे हैं। भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अत्यधिक दर आयातों में भारी वृद्धि होने की संभावना को भी दर्शाती है। अतः घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे का भी स्पष्ट मामला बनता है।
- ग. भारत में कुल मांग की दृष्टि से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के हिस्से में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में भारी वृद्धि हुई है। इससे स्पष्टतः पता चलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के अत्यधिक पाटन के कारण क्षति हो रही है। इसके अलावा, भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अत्यधिक दर बढ़े हुए आयातों तथा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की संभावना भी दर्शाती है।
- घ. उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के हिस्से में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में भारी वृद्धि हुई है। इससे स्पष्टतः पता चलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के अत्यधिक पाटन के कारण क्षति हो रही है। भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अत्यधिक दर बढ़े हुए आयातों तथा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की संभावना भी दर्शाती है।

- ड. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में न केवल समग्र रूप से वृद्धि हुई है बल्कि कुल मांग और घरेलू उत्पादन की दृष्टि से भी वृद्धि हुई है।
- च. संबद्ध देशों के औसत पहुंच मूल्य में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में भारी गिरावट आई है। तदनुसार, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी पी ओ आई के दौरान गिरावट आई है। इसके विपरीत घरेलू उद्योग की लागत में आधार वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आई है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण ये न्यूनीकृत रही हैं और इसलिए इससे आयातों की मांग में और वृद्धि होने की संभावना है। तदनुसार वर्तमान वास्तविक क्षति के साथ-साथ वास्तविक क्षति का खतरा भी आसन्न है।
- छ. घरेलू बाजार में मांग में पी ओ आई (ए) में भारी वृद्धि हुई है। तथापि, मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पी ओ आई (ए) में गिरावट आई है। इससे यह तथ्य स्पष्टतः सिद्ध होता है कि आयातों के कारण बाजार हिस्से के संदर्भ में भी घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ज. घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि के कारण अपनी क्षमता में वृद्धि की है। पी ओ आई (ए) में मांग में भारी वृद्धि हुई है तथापि, पाटित आयातों में वृद्धि के कारण पी ओ आई (ए) में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- झ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कम मूल्य के कारण 2017-18 और 2018-19 की तुलना में पी ओ आई (ए) के दौरान घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई है।
- ञ. मांग में भारी वृद्धि के बावजूद 2017-18 और 2018-19 की तुलना में पी ओ आई (ए) में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों में भारी वृद्धि के कारण काफी कठिनाई झेलनी पड़ी है।
- ट. पाटित आयातों के कम मूल्य के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट के कारण पीओआई में घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है। इससे स्पष्टतः पाटित आयातों का क्षतिकारी प्रभाव प्रदर्शित होता है।
- ठ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के तीव्र पाटित आयातों के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कम मूल्य के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की घरेलू कीमत को न्यूनीकृत और ह्रासीकृत किया है जिससे इसकी मांग बढ़ने की संभावना है। तदनुसार, वर्तमान में क्षति और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा भी है।
- ड. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय (आर ओ सी ई) में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में भारी गिरावट आई है। इससे स्पष्टतः पता चलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
- ढ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कम मूल्य के पाटित आयातों में वृद्धि के कारण संबद्ध वस्तु की मालसूची में भारी वृद्धि हुई है।
- ण. कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री दोनों जांच अवधि के दौरान सकारात्मक और अत्यधिक रही हैं। इससे घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का क्षतिकारी प्रभाव प्रदर्शित होता है।
- त. संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन अत्यधिक सकारात्मक है और इस प्रकार, संबद्ध वस्तु की आक्रामक कीमत को दर्शाता है। घरेलू उद्योग को इसके कारण क्षति हुई है।
- थ. घरेलू उद्योग की नकद प्रवाह की स्थिति आधार वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में अत्यधिक खराब हो गई है। घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों की वजह से आसन्न है।
- द. क्षमता उपयोग, उत्पादन, घरेलू बिक्री, घरेलू बाजार हिस्सा, लाभप्रदता, आर ओ सीई, नकद प्रवाह, आदि में गिरावट स्पष्ट रूप से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कम मूल्य के पाटित आयातों के प्रतिकारी प्रभाव को दर्शाती है। घरेलू उद्योग के खराब वित्तीय निष्पादन का एकमात्र कारण यह है

कि वह तीव्र पाटित आयातों के कारण अपनी कीमतों को बढ़ा नहीं पाया है। घरेलू उद्योग के लिए यह अत्यधिक दुभाग्यपूर्ण स्थिति है कि मांग में भारी वृद्धि के बावजूद वित्तीय कार्य निष्पादन में नुकसान जारी है।

- ध. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी द्वारा इस क्षेत्र में भावी निवेश भी प्रभावित हुआ है। क्षमता उपयोग, उत्पादन, घरेलू बिक्री, घरेलू बाजार हिस्सा, लाभप्रदता, आर ओ सी ई, नकद प्रवाह, आदि में गिरावट स्पष्ट रूप से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कम मूल्य के पाटित आयातों के प्रतिकारी प्रभाव को दर्शाती है कि पाटित आयातों के कारण इस क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

31. इस संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोध दायर नहीं किए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 32 पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iii) में निम्नानुसार उल्लिखित है:

“यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ साथ पाटनरोधी-जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निधारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की के आयात स्तुप्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान व 3 के साथ सबसे अधिक बनता है; तथा (ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निधारण उचित है।”

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

- (क) विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से भारत में पाटित किया जा रहा है। नियमानुसार प्रत्येक देश से पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- (ख) प्रत्येक संबद्ध देशों से आयातों की कुल मात्रा व्यक्तिगत रूप से 3 प्रतिशत से अधिक है।
- (ग) इस प्रकार से संबद्ध देश न केवल सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा भारतीय बाजार में इस तरह की समान वस्तु के साथ भी प्रतिस्पर्धा की गई है।

34. उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देशों से क्षति का आकलन करना उचित होगा कि संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग में उत्पाद के आयात संचयी रूप से विचाराधीन हैं।

35. क्षति के आकलन और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की नियमावली के अनुसार विभिन्न मापदंडों के आलोक में जांच की गई है। अनुबंध-2 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में “ पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. ”... ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों पर कीमत प्रभाव

(क) मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

36. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में लिया गया है। इस प्रकार आकलित मांग आधार वर्ष की तुलना में पीओआई और पूर्ववर्ती वर्ष में बढ़ी है।

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	POI	पीओआई (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	2,203	2,569	2,617	2,331	3,107
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	225	325	462	317	423
कुल आयात	मी.ट.	2,428	2,894	3,080	2,648	3,530
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	109	68	91
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	0	0	0
कुल घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	109	68	91
मांग	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	117	86	115

37. जैसा कि उक्त तालिका से देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में पाटित आयातों में वृद्धि के कारण गिरावट आई है।

(ख) संबद्ध देशों से आयात मात्राएं

38. आयातों की मात्रा के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि दोनों से वृद्धि हुई है।

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	2203	2569	2617	2331	3107
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	225	325	462	317	423
कुल आयात	मी.ट.	2,428	2,894	3,080	2,648	3,530
कुल पीयूसी उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
भारत में संबद्ध वस्तु की मांग	मी.ट.	***	***	***	***	***
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात						
उत्पादन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	111	164	164
खपत	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	102	122	122

39. उक्त तालिका से नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।
40. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पीयूसी के आयातों में आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में उत्पादन और मांग क दृष्टि से भी वृद्धि हुई है।

(ग) मांग में बाजार हिस्सा

41. यह नोट किया जाता है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के बावजूद आवेदकों के बाजार हिस्से में पी ओ आई में गिरावट आई है।

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
मांग में बाजार हिस्सा						
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	93	79	79
संबद्ध देश	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	102	122	122

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों पर कीमत प्रभाव

42. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में इस बात का विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत के संबंध में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क) कीमत कटौती

43. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य के साथ की गई है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कटौती संबंधी प्रभाव निम्नानुसार ज्ञात किए गए हैं :-

i. कीमत कटौती (संबद्ध देश)

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से पहुँच मूल्य	रू./मी.ट.	3,58,173	3,41,697	3,49,364	3,18,726	3,18,726
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	98	89	89
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	93	91	91
कीमत कटौती	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	58	107	107
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%

ii. कीमत कटौती (चीन जन.गण.)

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	3,70,695	3,40,101	3,42,287	3,14,219	3,14,219
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	92	85	85
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	93	91	91
कीमत कटौती	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	97	156	156
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%

iii. कीमत कटौती (चीनी ताइपेयी)

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	357766	348658	375237	360785	360785
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	105	101	101
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	93	91	91
कीमत कटौती	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	6	22	22
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%

iv. कीमत कटौती (मलेशिया)

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	324968	323794	380344	241052	241052
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	117	74	74
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	93	91	91

कीमत कटौती	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	(3)	158	158
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	20%-40%	0%-20%	-20%-0%	40%-60%	40%-60%

44. उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से आयात आवेदकों की घरेलू बिक्री कीमत से काफी कम कीमत पर आ रहे हैं। जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों के लिए कीमत कटौती सकारात्मक हैं।

ख) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

45. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का काफी मात्रा तक न्यूनीकरण करना अथवा ऐसी कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना निम्नलिखित रूप में की गई थी:

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
पहुंच मूल्य-संबद्ध देश	रू./मी.ट.	358173	341697	349364	318726	318726
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	98	89	89
घरेलू बिक्री कीमत रू./मी.ट.	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	93	91	91
लागत रू./मी.ट.	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	98	106	106

46. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात पी ओ आई में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर आ रहे हैं। इससे घरेलू उद्योग पी ओ आई के दौरान अपनी कीमतों को घटाने पर बाध्य हुआ है और इसलिए इसके लाभों में भारी गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में बिक्री लागत (रू./एम.टी.) में 6 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत इसी अवधि के दौरान 9 प्रतिशत तक कम हुई है। अतः पाटित आयातों के कारण अत्यधिक कीमत न्यूनीकरण और ह्रास हुआ है।

घरेलू उद्योग का आर्थिक मापदंड

47. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।
48. विभिन्न तथ्यों और किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की तथ्यपरक जांच की गई है।

क) उत्पादन क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

49. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री, और क्षमता उपयोग क्षति अवधि के दौरान निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	117	88	117
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	107	64	86
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	109	68	91
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	91	73	73

50. पी ओ आई में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में आवेदकों के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। ऐसा संबद्ध देशों से आ रहे पाटित आयातों की भारी मात्रा के कारण हुआ है।

(ख) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

51. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ क्षति अवधि के दौरान नीचे तालिका में दिए गए हैं-

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	109	68	91
मांग	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	117	86	115
बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	93	91	91
बिक्री की लागत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	98	106	106
लाभ तथा हानि	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	78	17	22
लाभ तथा हानि	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	71	25	25
नकद लाभ	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	77	43	43
नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई)	%	***	***	***	***	***

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	63	19	19

उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि :-

(क) पीयूसी की मांग में निरंतर वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में निम्नलिखित कारणों से भारी गिरावट आई है :

- आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में लागत (रूपए/एमटी) में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2017-18 की तुलना में पी ओ आई में लागत में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- पाटित आयातों के कारण आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में घरेलू बिक्री कीमत में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- मांग में काफी वृद्धि के बावजूद आक्रामक पाटन के कारण आधार वर्ष की तुलना में पीओआई (ए) में बिक्री मात्रा में 9% तक की गिरावट आई है।

(ख) इसी प्रकार, घरेलू उद्योग के नकद लाभ में 2017-18 में 108 सूचीबद्ध बिन्दुओं से पीओआई (ए) के दौरान 43 सूचीबद्ध बिन्दुओं तक की भारी गिरावट आई है।

(ग) नियोजित पूंजी पर आय में पीओआई के दौरान गिरावट आई है जो 2017-18 में 102 सूचीबद्ध बिन्दुओं से काफी घटकर पीओआई (ए) में 19 सूचीबद्ध बिन्दु रह गई है।

(ग) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

53. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
कर्मचारी	सं.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	95	86	86
मजदूरी	लाख रूपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	115	89	118
उत्पादकता	लाख रूपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	107	64	86
मजदूरी/कर्मचारी (रू. प्रति वर्ष)	रू./सं.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	121	103	137

54. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के रोजगार और उत्पादकता में पीओआई में गिरावट आई है और जबकि मजदूरी और मजदूरी/कर्मचारी में वृद्धि दर्ज हुई है।

घ. मालसूची

55. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:-

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	POI	पीओआई (वार्षिकीकृत)
औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	162	233	409	409

56. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची 2016-17 में 100 सूचीबद्ध बिन्दुओं की तुलना में पीओआई (ए) के दौरान 409 सूचीबद्ध बिन्दु तक बढ़ गई है। बढ़े हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पीओआई में गिरावट आई है। बढ़ी हुई मांग पर पाटित आयातों ने कब्जा कर लिया है।

(ड.) वृद्धि

57. यह नोट किया जाता है कि मांग में बाजार हिस्सा, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि में 2017-18 और 2018-19 की तुलना में पीओआई में भारी गिरावट आई है।

(च) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

58. संबद्ध देशों से आयात की कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, आदि की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पादन लागत से कम है जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत कटौती तथा कीमत ह्रास हो रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना पीओआई के दौरान भारी वृद्धि हुई है। इस प्रकार अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष हो सकता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात हैं।

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

59. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एन आई पी का निर्धारण जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सूचना / आंकड़ों के आधार पर किया गया है। घरेलू उद्योग की एन आई पी ज्ञात की गई है और क्षति मार्जिन के परिकलन हेतु उसकी तुलना संबद्ध देशों से पहुंच कीमत के साथ की गई है।

विवरण	यूओएम	चीन जन.गण.	चीनी ताइपेयी	मलेशिया
क्षति रहित कीमत (एनआईपी)	रू./मी.ट.	***	***	***
आयातों की पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	314219	360785	241052
क्षति मार्जिन	रू./मी.ट.	***	***	***
क्षति मार्जिन	अम.डॉ./मी.ट.	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***
क्षति मार्जिन	% - रेंज	10-30	0-20	40-60

60. सभी संबद्ध देशों से क्षति मार्जिन सकारात्मक है और चीन जन.गण. और मलेशिया से काफी अधिक हैं।

छ. गैर आरोपण विश्लेषण

61. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या उसी समय पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, ताकि अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल है। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

62. संबद्ध देशों से इतर देशों से आयातों का पीओआई के दौरान कुल आयातों में हिस्सा केवल 12 प्रतिशत है। अन्य देशों से आयात कीमत संबद्ध देशों से कीमतों की तुलना में काफी अधिक है। अतः तीसरे देशों से आयातों के कारण न तो क्षति हुई है और न ही घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा है।

निर्यात कार्य निष्पादन

63. केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

प्रौद्योगिकी का विकास

64. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने न तो भागीदारी की है न ही प्रौद्योगिकी में ऐसे किसी खास परिवर्तन का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे घरेलू उद्योग का क्षति हो सकती हो।

कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

65. घरेलू उद्योग अधिकांशतः पीयूसी के उत्पादन और बिक्री में शामिल है। केवल मै. इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लि. ने अन्य उत्पाद की थोड़ी सी मात्रा को बेचा है। तदनुसार, अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन घरेलू उद्योग को न तो क्षति पहुंचा रहा है और न ही उससे क्षति का कोई खतरा है।

व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

66. संबद्ध वस्तु के आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं हैं और ये देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत कोई साक्ष्य यह नहीं दर्शाता है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण कोई क्षति हुई है।

मांग में संकुचन और खपत की पद्धति में परिवर्तन

67. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग में 2018-19 की तुलना में पीओआई (ए) में मामूली गिरावट को छोड़कर पूरी क्षति अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है। थोड़ी गिरावट पीओआई की संख्या के वार्षिकीकरण के कारण हो सकती है। इस प्रकार, अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं हुई है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष

68. उपर्युक्त के मद्देनजर यह नोट किया जाता है कि :-

क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में संपूर्ण जांच अवधि के दौरान समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध देशों से आयातों में भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।

ग) भारत में आने वाले कम कीमत के पाटित आयातों के कारण कीमत ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है।

- घ) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में कमी आई है। यद्यपि, इसी अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई। ऐसी पीयूसी की कुल मांग में आयातों के प्रतिशत हिस्से में वृद्धि के कारण हुआ है।
- ङ) घरेलू उद्योग के लाभ और नियोजित पूंजी पर आय पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि के कारण पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना पीओआई में बुरी तरह से प्रभावित हुई है।
- च) जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कीमत कटौती और क्षति मार्जिन सकारात्मक रहा है।

झ. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

69. किए गए अनुरोधों की जांच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद यह नोट किया जाता है कि कि:
- क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद का भारत को संबद्ध देशों से उसके सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया गया है।
- ग. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है।
- घ. वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।
70. यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू करने और जांच करने के बाद यह महसूस किया जाता है कि जांच के पूरा होने तक पाटन और क्षति की भरपाई करने के लिए अनंतिम शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। अतः संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर विचार करना अपेक्षित है।
71. इस नियमावली के नियम 4(घ) तथा नियम 17 (1) (b) में निहित प्रावधान के संबंध में, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत शुल्कों के अतिरिक्त सीमा शुल्क के प्रयोज्य स्तर शामिल होंगे।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	*एचएस कोड	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	37079010, 37079090	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कोई	834	मी.ट.	अम.डॉ.

क्र. सं.	*एचएस कोड	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
2.	37079010, 37079090	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर	चीन जन.गण., चीनी ताइपेई तथा मलेशिया से इतर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	834	मी.ट.	अम.डॉ.
3.	37079010, 37079090	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	कोई	1686	मी.ट.	अम.डॉ.
4.	37079010, 37079090	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर	मलेशिया , चीन जन.गण., तथा चीनी ताइपेई से इतर कोई देश	मलेशिया	कोई	1686	मी.ट.	अम.डॉ.
5.	37079010, 37079090	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर	चीनी ताइपेई	चीनी ताइपेई सहित कोई देश	कोई	196	मी.ट.	अम.डॉ.
6.	37079010, 37079090	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर	चीनी ताइपेई, चीन जन.गण. तथा मलेशिया से इतर कोई देश	चीनी ताइपेई	कोई	196	मी.ट.	अम.डॉ.

*सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक प्रयोजन हेतु है।

ड. आगे की प्रक्रिया

72. प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

- i. इन प्रारंभिक जांच परिणामों पर सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की जाएंगी और संगत समझा जाए तो अंतिम जांच परिणाम में उन पर विचार किया जाएगा।
- ii. घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार जो संबंधित जाने जाएं, को प्राधिकारी द्वारा अलग से पत्र भेजा जा रहा है जो इन प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं।
- iii. अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं।
- iv. आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक आगे सत्यापन किया जाएगा।
- v. अंतिम जांच परिणामों से पूर्व नियमावली के अनुसार अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

PRELIMINARY FINDINGS

CASE NO. ADD-(OI) 05/2020

Sub: Preliminary Findings in the Anti-dumping investigation concerning imports of "Black Toner in powder form" originating in or exported from China PR, Malaysia and Chinese Taipei.

F. No.6/6/2020-DGTR

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s Pure Toners and Developers Pvt. Ltd and M/s Indian Toners and Developers Ltd (hereinafter referred to as the "Applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for imposition of Anti-dumping Duty concerning imports of "Black Toner in powder form" (hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC" or "Black Toner"), originating in or exported from China PR, Malaysia and Chinese Taipei (hereinafter also referred to as the "subject countries").
2. The Authority, on the basis of prima facie evidence, issued a public notice vide Notification No. 6/6/2020 - DGTR dated 10th February, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would remove the alleged injury to the Domestic Industry.

B. PROCEDURE

- (i) The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a) The Authority notified the Embassies of the Subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.

- b) The Authority issued a public notice dated 10th February, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
- c) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries and known importers/users as per the addresses made available by the Applicants and requested them to make their views known, in writing, within the prescribed time limit.
- d) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
- e) The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from their countries.
- f) The Authority sent Exporter's questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Hubei Far East, China PR
 - ii. Wuhan Point Role, China PR
 - iii. Handan Hangguang, China PR
 - iv. wuxi jiateng, China PR
 - v. Dinglong, China PR
 - vi. Nanjing Teshine, China PR
 - vii. Comet, China PR
 - viii. Wuhan Techwin Toner and Developer Limited, China PR
 - ix. Jadi, Malaysia
 - x. TTI, Chinese Taipei
- g) The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Vedica Computer Pvt. Ltd.
 - ii. Datalink industrial corporation
 - iii. Atul Automation Private Ltd
 - iv. Cartridgewala.com
 - v. Copytron Technology
 - vi. Indrayani Sales Pvt. Ltd.
 - vii. Best Mega international
 - viii. Sumanglam international private limited
 - ix. Rank office automation P Ltd.
 - x. Image Star Print Solutions Pvt Ltd
- h) The Authority, upon request, granted multiple extensions, to file Exporter Questionnaire Response (EQR), which was placed in the public domain through DGTR's website. The last date to file the questionnaire response is 10th June, 2020. However, while granting extension it was clearly stated the Authority reserves the right to grant interim relief to the domestic industry.
- i) The Authority made available non-confidential version of the application as well as updated data to the interested parties on their request.

- j) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCIS data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
- k) The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- l) The information/data submitted by the Applicants has been examined to the extent possible for the purpose of preliminary findings. The detailed verification will be carried in due course.
- m) The Period of Investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1st April, 2019 to 31st December, 2019 (9 Months). The injury investigation period has, however, been considered as the period from April 2016 - March 2017, April 2017- March 2018, April 2018 - March 2019 and the POI.
- n) '***' in this preliminary finding represents information furnished on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- o) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$= Rs. 71.22.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

3. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

- a) The product under consideration is Black Toner in powder form. Toner is used in laser printers, photocopiers, digital multifunction devices (MFD), etc. to form the printed text and images on the paper.
- b) The PUC is classified under the tariff custom classification 37079010. The PUC, however, has been also imported under the code 37079090. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
- c) The following Toners are not covered within the scope of the investigation:
 - i. Color Toner
 - ii. MICR Toner (Specialized Toner used for printing in Cheques)
 - iii. Toners imported for the use by Original Equipment Manufacturers of Printing Equipment.
 - iv. Toner in Cartridges
 - v. Toner in liquid form

Submissions made by the Domestic Industry

4. The submissions made by the Domestic Industry with regard to product under consideration and like article are as follows:

- a) The Product under Consideration in the present application is "Black Toner in powder form". It is used in laser printers, photocopiers, digital multifunction devices (MFD), etc. to form the printed text and images on the paper.
- b) The following Toners are not covered in the scope of the investigation:
 - i. Color Toner
 - ii. MICR Toner (Specialized Toner used for printing in Cheques)
 - iii. Toners imported for the use by Original Equipment Manufacturers of Printing Equipment.
 - iv. Toner in Cartridges
 - v. Toner in liquid form

- c) The product under consideration is classified under Chapter Heading 37 of the Customs Tariff Act. The classification at the 8-digit level is 37079010. However, it has been also noted from the import data that the subject goods were also imported under 37079090 HS classification.
- d) There is no difference in product produced by the Applicants and that exported from the subject countries.

Submissions made by Other Interested Parties

5. No submission has been made by any other interested party with regard to product under consideration.

Examination by the Authority

6. The submissions made by the Domestic Industry with regard to the PUC related issues have been examined and addressed hereunder.
- a) The product under consideration (PUC) in the present investigation is “Black Toner in powder form”.
 - b) The following types of Toners are not covered within the scope of the investigation:
 - i. Color Toner
 - ii. MICR Toner (Specialized Toner used for printing in Cheques)
 - iii. Toners imported for the use by Original Equipment Manufacturers of Printing
 - iv. Equipment.
 - v. Toner in Cartridges
 - vi. Toner in liquid form
 - c) It has been noted from the information available on record that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject countries. Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. It is noted that the imported and the domestically sold products are technically and commercially substitutable, and the consumers are using the two interchangeably.
 - d) PUC is classifiable under Chapter Heading 37 “Photographic or cinematographic goods” of the Customs Tariff Act. The classification at the 8-digit level is 37079010. However, it has also been noted from the import data that the subject goods were also imported under 37079090 HS classification. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

Submissions made by the Domestic Industry

7. The submissions made by the Domestic Industry during the course of the investigation with regard to scope of Domestic Industry & standing are as follows:
- a) The Applicants, M/s Pure Toners and Developers Pvt. Ltd and M/s Indian Toners and Developers Ltd., are producers of the subject goods in India. There is no other producer of the subject goods in India.
 - b) The Applicants have not imported the product under consideration from subject countries, and are also not related to any importer in India or any exporter from the subject countries.
 - c) The Applicants account for 100% of the total Indian production of PUC. The Applicants thus hold a major proportion of total Indian production of the PUC and accordingly, satisfy the requirement of standing and constitute 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules.

Submission of other interested parties

8. No submissions has been made by other interested parties with regard to scope of domestic industry and its standing.

Examination by the Authority

9. Rule 2(b) of the Rules provides as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

10. It is noted that the application has been filed by M/s Pure Toners and Developers Pvt. Ltd and M/s Indian Toners and Developers Ltd. The Applicants have informed that currently there is no other producer of the product under consideration in India.
11. The Applicants account for 100% of the total Indian production and constitute a major proportion. It is noted that the Applicants have not imported the product under consideration and are not related to any importer in India or any exporter from the subject countries.
12. Accordingly, the Authority holds that the Applicants satisfy the standing requirement and constitute the Domestic Industry in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

E. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

Submissions by the Domestic Industry

13. The following submissions have been made by the Domestic Industry:

Normal Value for China PR

14. China PR has to be presumed to be a non-market economy country in terms of Para 8 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, as it has been treated as a non-market economy country for purposes of plethora of anti-dumping investigations by the designated authority or also by other competent authorities of WTO member countries during the preceding three years unless the concerned firms / producers / exporters are able to rebut the said presumption based on the criteria laid down in Para 8(3).
15. The significant extent of continued government intervention in certain important sectors of the Chinese economy warrants maintaining China's designation as a Non-Market Economy country. It is a known fact that China's economy is controlled by the state forces and there is a significant interference and control of the state machinery in the country's economy. The grant of Market Economy status under China's accession to the WTO is not automated but contingent upon China's compliance with the preconditions mentioned in the Accession Protocol.
16. The Authority has rejected the MET claim of the exporters even in the most recent findings [See Final Findings No.14/14/2014-DGAD, dated 8th April, 2017 in the case of Vitrified Tiles from China] on the ground of government-controlled exchange rate.
17. In view of above, the normal value for Chinese firms should be determined as per the provisions of Para 7 of the Annexure I. In terms of Para I, an appropriate third market economy country is required to be selected as the first alternative. However, domestic industry is not in a position to obtain any price details for the subject goods prevalent in any of the market economy third country as this information is not available in the public domain. The domestic industry, therefore, determined the normal value for China PR on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin. This methodology has been considered by the Designated Authority in the earlier investigations against China PR.

Normal Value for Malaysia and Chinese Taipei

18. The Applicant has claimed that they have tried to get the information of the domestic prices in Malaysia and Chinese Taipei. However, the applicants were not in a position to obtain any price details for the subject goods in these countries as this information is not available in the public domain. Therefore, the domestic industry has determined the normal value for Malaysia and Chinese Taipei on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin.

Export Price for China PR, Malaysia and Chinese Taipei

19. Export price from subject countries has been determined considering volume and value of imports for the proposed period of investigation as per transaction wise data collected from the DGCI&S.

Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, credit cost and inland freight.

Dumping Margin for China PR, Malaysia and Chinese Taipei

20. Considering the normal value and export price as discussed above, the dumping margin has been determined. The dumping margins for the subject countries are above *de minimis* levels and significant.

Submissions by the other interested parties

21. None of the interested parties have responded with regard to Market Economy Claims, Normal Value, Export Price and Dumping Margin of the subject countries.

Examination by the Authority

22. Based on the multiple requests from various interested parties several extensions have been granted by the Authority for filing Questionnaire response. It is however, noted that while granting extensions it has been amply made clear that the Authority reserves the right to grant interim relief to the domestic industry.

Market Economy Status

23. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the Industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) In proceedings under Parts 11, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a) (ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

24. It is noted that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since neither of the responding producer and the exporter from China PR have submitted supplementary questionnaire response, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.

25. Accordingly, the normal value for all the producers / exporters from China PR have been determined as below.

Normal Value for China PR

26. At the stage of initiation, the Authority, after evaluating the options under Para 7 to Annexure I of the Rules, had Constructed Normal Value as Applicants have claimed that they are not in a position to obtain any price details for the subject goods prevalent in any of the market economy third country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of whether their data/information could be adopted for the purpose of normal value determination. The Authority sent copies of supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for providing relevant information in this regard. In absence of rebuttal of non-market economy presumption, so far it is considered appropriate to proceed with Para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of Normal Value for China PR. The Authority has, therefore, constructed Normal Value on the basis of cost of production in India based on the cost of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses with reasonable profit.

Normal Value for Malaysia and Chinese Taipei

27. On account of non-submission of exporter's questionnaire response from Malaysia & Chinese Taipei, the Authority has construed Normal Value on the basis of the cost of production in India based on the cost of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses with reasonable profit.

Export Price for China PR, Malaysia and Chinese Taipei

28. Exporter's questionnaire response has not been received from Malaysia & Chinese Taipei. In the questionnaire response filed by Chinese producers/exporters certain discrepancies have been noticed and pointed out. Accordingly, the export price has been determined in respect of the subject countries on the basis of best available information in terms of Rule 6(8) of the Rules. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, credit cost and inland freight.

Dumping Margin

29. Considering the normal value as constructed above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject countries are as follows:

Particulars	Unit	China PR	Chinese Taipei	Malaysia
Constructed Normal value	Rs/MT	***	***	***
Net Export Price	Rs/MT	***	***	***
Dumping Margin	Rs/MT	***	***	***
Dumping Margin	USD/MT	***	***	***
Dumping Margin %	%	***	***	***
Dumping Margin % Range	% Range	20-40	0-20	60-80

F. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

Submissions made by the Domestic Industry

30. The submissions made by Domestic Industry are as follows:

- The imports of the subject goods from the subject countries have increased significantly throughout the injury investigation period. The imports of the subject goods from the subject countries increased from 2,203 MT in the base year to 3,107 MT during the POI (A) i.e., there is an increase of 41%. The imports of the subject goods from the subject countries have also increased significantly in the POI (A) as compared to the year 2017-18 and 2018-19.
- The share of imports of the subject goods from the subject countries in the total imports is very high to the tune of 88.03% in the POI. It clearly indicates that the imports of the subject goods from the subject countries have been able to capture a significant market share in the domestic market due to aggressive dumping by the exporters from the subject countries. The significant rate of increase of dumped imports into India also indicates the likelihood of substantially increased

importation. Therefore, there is also a clear case of threat of material injury to the domestic industry.

- c) The share of the imports of the subject goods from the subject countries in relation to the total demand in India has increased significantly in the POI as compared to the previous years. This clearly indicates that the domestic industry is suffering injury due to excessive dumping of the subject goods from the subject countries. Further, the significant rate of increase of dumped imports into India also indicates the likelihood of substantially increased importation and threat of material injury to the domestic industry.
- d) The share of imports of the subject goods from subject countries in relation to the production has increased significantly in the POI as compared to the preceding years. This clearly indicates that the domestic industry is suffering injury due to excessive dumping of the subject goods from the subject countries. The significant rate of increase of dumped imports into India also indicates the likelihood of substantially increased importation and threat of material injury to the domestic industry.
- e) The imports of the subject goods from subject countries have increased not only in absolute terms but have also increased in relation to total demand and domestic production.
- f) The average landed value of the subject countries declined significantly in the POI as compared to previous years, accordingly, selling price of the domestic industry also declined during the POI. On the contrary, the cost of the domestic industry has increased in the POI as compared to the base year as well as preceding years. The prices of the domestic industry have declined and have been suppressed on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries and, therefore, it would likely increase the demand for further imports. Accordingly, along with the current material injury, threat of material injury is also imminent.
- g) The demand in the domestic market has increased substantially in the POI (A). However, market share of the domestic industry in demand has declined in the POI (A). This clearly establishes the fact that imports have caused injury to the domestic industry with respect to market share also.
- h) The domestic industry has increased its capacity on account of increase in demand. The demand has significantly increased in the POI (A). However, the capacity utilization of the domestic industry has declined in the POI (A) on account of increase in dumped imports.
- i) The productivity per employee of the domestic industry declined during the POI (A) as compared to 2017-18 and 2018-19 on account of low value dumped imports of the subject goods from the subject countries.
- j) The domestic sale of the domestic industry has declined significantly in the POI (A) as compared to 2017-18 and 2018-19 despite significant increase in the demand. The domestic industry has suffered adversely on account of significant increase of the dumped imports.
- k) The number of employees engaged by the domestic industry has declined in the POI on account of the decline in production, sales and capacity utilization of the domestic industry due to low value dumped imports. This clearly shows the injurious impact of the dumped imports.
- l) The profitability of the domestic industry has been severely affected in the period of investigation due to intensified dumped imports of the subject goods from the subject countries. The low value dumped imports suppressed and depressed the domestic selling prices of the domestic industry, which would likely further increase its demand. Accordingly, there is current injury as well as also a threat of material injury to the domestic industry.
- m) The return on capital employed (ROCE) of the domestic industry declined significantly in the POI as compared to the previous years. It clearly indicates that the domestic industry has suffered material injury on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries.
- n) The inventory of the subject goods has increased significantly due to the increase in the low value dumped imports of the subject goods from the subject countries.
- o) Both price undercutting and price underselling are positive and significant during the period of investigation. This clearly shows the injurious impact of the dumped imports on the domestic industry.
- p) The dumping margin from subject countries is significantly positive, and thus indicative of the aggressive pricing of the subject goods. The domestic industry has suffered injury on account of the same.

- q) The cash flow position of the domestic industry has significantly deteriorated in period of investigation as compared to the base year as well as the preceding years. The injury to the domestic industry on account of dumped imports is imminent.
- r) Decline in capacity utilization, production, domestic sales, domestic market share, profitability, ROCE, cash flow etc. clearly shows the injurious impact of the low value dumped imports of the subject goods from the subject countries. The only reason for the poor financial performance of the domestic industry is that it is not able to raise its prices due to the intensified dumped imports. It is a very unfortunate situation for the domestic industry that despite significant increase in demand, the financial performance continues to suffer.
- s) Future investment in the sector is also marred by the presence of dumped imports from subject countries. The decline in capacity utilization, production, domestic sales, domestic market share, profitability, ROCE, cash flow etc., clearly indicate that the ability of the domestic industry to raise capital investments for the sector is jeopardized by the dumped imports.

Submission by other interested parties

31. None of the interested parties have filed submissions in this regard.

Examination by the Authority

32. Para (iii) of Annexure II of the Rules states the following:

“(iii) In cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the designated authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as a percentage of export price and the volume of imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries less than three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of the like article, and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.”

33. The Authority notes that:

- a) The product under consideration is being dumped into India from subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
- b) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.
- c) Cumulative assessment of the effects of imports is thus appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

34. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from imports of the product under consideration from the subject countries.

35. The submissions made by the Domestic Industry with regard to the injury assessment and causal link have been examined in light of various parameters in accordance with the Rule 11 of Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, ".... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry**(a) Assessment of Demand/Apparent Consumption**

36. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources has been taken into consideration. The demand so assessed has increased in the POI and preceding years as compared to the base year.

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Imports from Subject Country	MT	2,203	2,569	2,617	2,331	3,107
Imports from Other Countries	MT	225	325	462	317	423
Total Imports	MT	2,428	2,894	3,080	2,648	3,530
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	109	68	91
Sales of Other Domestic Producers	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	0	0	0	0	0
Total Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	109	68	91
Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	117	86	115

37. As can be seen from the above table, the dumped imports from subject countries have increased during the POI as compared to base year and preceding years. The domestic sales of the domestic industry declined on account of increase in the dumped imports.

(b) Import Volumes from the subject countries

38. With regard to the volume of the imports, it is noted that there has been a significant increase in imports from the subject countries, both in absolute terms and relative terms to production or consumption in India.

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Imports from Subject Country	MT	2203	2569	2617	2331	3107
Imports from Other Countries	MT	225	325	462	317	423
Total Imports	MT	2,428	2,894	3,080	2,648	3,530
Total PUC Production	MT	***	***	***	***	***
Demand of Subject goods in India	MT	***	***	***	***	***
Imports from Subject Country in relation to						
Production	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	111	164	164
Consumption	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	102	122	122

39. It is noted from the above table that imports of the subject goods from the subject country have increased in absolute terms in the POI as compared to the base year and preceding year.

40. It is noted that the imports of PUC from the subject countries, in relation to production and demand, have also increased in the POI as compared to the base year and preceding years.

(c) Market Share in demand

41. It is noted that the market share of the domestic industry has declined in the POI as compared to previous years. The Applicants has lost market share in POI despite increase in demand of the product under consideration.

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Market share in demand						
Domestic Industry	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	93	79	79
Subject Countries	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	102	122	122

Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

42. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

(a) Price Undercutting

43. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries works out as follows:

i. Price Undercutting (Subject Countries)

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Landed price from Subject Countries	Rs/MT	3,58,173	3,41,697	3,49,364	3,18,726	3,18,726
Trend	Indexed	100	95	98	89	89
Net selling price of Domestic Industry	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	93	91	91
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	86	58	107	107
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%

ii. Price Undercutting (China PR)

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Landed price from Subject Countries	Rs/MT	3,70,695	3,40,101	3,42,287	3,14,219	3,14,219
Trend	Indexed	100	92	92	85	85
Net selling price of Domestic Industry	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	93	91	91

Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	97	156	156
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%

iii. Price Undercutting (Chinese Taipei)

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Landed price from Subject Country	Rs/MT	357766	348658	375237	360785	360785
Trend	Indexed	100	97	105	101	101
Net selling price of Domestic Industry	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	93	91	91
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	71	6	22	22
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%

iv. Price Undercutting (Malaysia)

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Landed price from Subject Country	Rs/MT	324968	323794	380344	241052	241052
Trend	Indexed	100	100	117	74	74
Net selling price of Domestic Industry	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	93	91	91
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	73	(3)	158	158
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	20%-40%	0%-20%	-20%-0%	40%-60%	40%-60%

44. From the aforesaid table, it can be observed that the imports from the subject countries are coming at prices significantly below the domestic selling price of the Applicants. Thus, price undercutting during the period of investigation is positive for the subject countries.

(b) Price Suppression and Depression

45. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below:

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Landed value - Subject Countries	Rs/MT	358173	341697	349364	318726	318726
Trend	Indexed	100	95	98	89	89
Domestic selling price Rs/MT	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	93	91	91
Cost Rs./MT	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	98	106	106

46. From the above table, it is noted that the imports from the subject countries were coming at prices lower than the cost of sales of the Domestic Industry in the POI. This has forced Domestic Industry to reduce its prices during POI, and therefore, resulted in significant decline in the profits. It is noted that the cost of sales (Rs/MT) has significantly increased by 6% in POI as compared to base year, whereas the selling price of domestic industry has declined by 9% during the same period. Therefore, there is significant price depression and suppression on account of dumped imports.

Economic Parameters of the Domestic Industry

47. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
48. The injury parameters have been examined objectively taking into account various facts and submissions made.

(a) Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

49. Capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	117	88	117
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	107	64	86
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	109	68	91
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	91	73	73

50. The production, sales and capacity utilization of the Applicants have declined in POI (A) as compared to previous years. The same appears to be due to the significant volume of dumped imports coming from the subject countries.

(b) Profitability, return on investment and cash profits

51. Profitability, return on investment and cash profits of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	109	68	91
Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	117	86	115
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	93	91	91
Cost of Sales Price	Rs./MT	***	***	***	***	***

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Trend	Indexed	100	91	98	106	106
Profit & Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	78	17	22
Profit & Loss	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	71	25	25
Cash Profit	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	77	43	43
Return on Capital Employed (ROCE)	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	63	19	19

52. From the above table, it is noted that:

- In spite of continuous increase in demand of PUC, the Domestic Industry's profitability declined significantly due to following reasons:
 - The cost (R s / M T) has increased by 6% in the POI as compared to the base year. The cost has increased by 15% in the POI as compared to 2017-18.
 - The domestic selling price declined by 9% in the POI as compared to the base year due to dumped imports.
 - The sales volume has declined in POI (A) by 9% in comparison to the base year on account of aggressive dumping despite significant increase in demand.
- Similarly, the cash profits of the Domestic Industry have reduced substantially from 108 indexed points in 2017-18 to 43 indexed points during the POI (A).
- Return on capital employed during POI has also reduced significantly to 19 indexed points in POI (A) from 102 indexed points in 2017-18.

(c) Employment, productivity and wages

53. Employment, productivity and wages of Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Employees	Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	95	86	86
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	115	89	118
Productivity	Rs. Lac	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	107	64	86
Wages/employee (Rs. per annum)	Rs/Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	121	103	137

54. It is noted that the employment of the Domestic Industry and productivity have declined in the POI whereas wages & wage/employee have registered increase.

(d) Inventories

55. Inventory position with the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Average Inventory	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	162	233	409	409

56. It is noted that the inventories with the Domestic Industry have increased to 409 indexed points during POI (A) as compared to 100 indexed points in 2016-17. Due to increased dumped imports, the market share of the Domestic Industry has come down in POI. The increased demand has been captured by dumped imports.

(e) Growth

57. It is noted that growth of the Domestic Industry with regard to market share in demand, production, sales and capacity utilization have declined significantly in the POI as compared to 2017-18 and 2018-19.

(f) Factors affecting domestic prices

58. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price and the cost of production of the Domestic Industry, causing significant price undercutting as well as price suppression in the Indian market. It is also noted that the demand for the subject goods significantly increased during the POI as compared to the previous years. Thus, it can be provisionally concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject countries.

Magnitude of Injury and Injury Margin

59. The Authority has determined Non-Injurious Price for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined based on information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the Domestic Industry has been worked out and it has been compared with the landed price from the subject countries for calculating injury margin.

Particulars	UOM	China PR	Chinese Taipei	Malaysia
Non-injurious price (NIP)	Rs/MT	***	***	***
Landed price of imports	Rs/MT	314219	360785	241052
Injury Margin	Rs/MT	***	***	***
Injury Margin	USD/MT	***	***	***
Injury Margin	%	***	***	***
Injury Margin	% - Range	10-30	0-20	40-60

60. The injury margins from all the subject countries are positive and significantly high from China PR & Malaysia.

G. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

61. As per the Rules, it is, *inter alia*, required to be examined whether any known factors other than the dumped imports at the same time are injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the Domestic Industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

Volume and price of imports from third countries

62. The share of the imports from countries other than the subject countries is only 12% in the total imports during the POI. The import price from other countries is significantly higher as compared to the prices from the subject countries. Hence, imports from third countries are neither causing nor threatening to cause injury to the Domestic Industry.

Export Performance

63. The data for domestic operations only has been considered for the injury analysis.

Development of Technology

64. None of the interested parties have participated and furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the Domestic Industry.

Performance of other products of the company

65. The domestic industry is majorly engaged in the production and sales of PUC. Only M/s Indian Toners and Developers Ltd has sold meager quantity of other product. Accordingly, performance of other products is neither causing nor threatening to cause injury to the Domestic Industry.

Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic**Producers**

66. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party, to suggest that injury has been caused on account of competition between the foreign and the domestic producers.

Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption

67. It is noted that the demand of the subject goods has increased consistently over the entire injury period except a marginal decline in the POI (A) as compared to 2018-19, which may be on account of annualisation of numbers of the POI. Thus, it can be provisionally concluded that the injury to the Domestic Industry is not due to contraction in demand.

H. CONCLUSION ON INJURY & CAUSAL LINK

68. In view of above, it has been noted that:

- a) Imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms over the entire period of investigation.
- b) Imports of the subject goods have increased in relation to its production and consumption in India.
- c) There is price depression and suppression due to low priced dumped imports coming in to India.
- d) Market share of the Domestic Industry has decreased in POI as compared to previous year even though demand for the subject goods has risen during the same period. This is due to the increase in percentage share of imports in total demand of PUC.
- e) The Domestic Industry's profits and return on capital employed has been adversely affected in POI as compared to previous years due to increase in imports of the subject goods from the subject countries during the POI.
- f) The price undercutting and injury margin from the subject countries during the POI is positive.

I. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

69. After examining the submissions made and considering the facts available on record, it is noted that:

- a) There is substantial increase in imports of subject goods from the subject countries in absolute terms as well as in relation to its production & consumption in India, during the POI as compared to the previous year.
- b) The product under consideration has been exported to India from the subject countries below the normal value.
- c) The Domestic Industry has suffered material injury.
- d) Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries.

70. It is noted that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the Domestic Industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, it is felt that imposition of provisional duty is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. Therefore, imposition of provisional anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries is required to be considered.

71. In terms of provision contained in Rule 4(d) and 17(b) of the Rules, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

S.No.	*HS Code	Description of goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	37079010, 37079090	Black Toner in Powder Form	China PR	Any country including China PR	Any	834	MT	USD
2.	37079010, 37079090	Black Toner in Powder Form	Any country other than China PR, Chinese Taipei & Malaysia	China PR	Any	834	MT	USD
3.	37079010, 37079090	Black Toner in Powder Form	Malaysia	Any country including Malaysia	Any	1686	MT	USD
4.	37079010, 37079090	Black Toner in Powder Form	Any country other than Malaysia, China PR & Chinese Taipei.	Malaysia	Any	1686	MT	USD
5.	37079010, 37079090	Black Toner in Powder Form	Chinese Taipei	Any country including Chinese Taipei	Any	196	MT	USD

S.No.	*HS Code	Description of goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
6.	37079010, 37079090	Black Toner in Powder Form	Any country other than Chinese Taipei, China PR & Malaysia.	Chinese Taipei	Any	196	MT	USD

**The customs classification is only for indicative purpose.*

J. **FURTHER PROCEDURE**

72. The procedure as below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- i. Comments on these preliminary findings from all the interested parties will be invited and the same, if considered relevant, would be considered in the final findings.
- ii. Domestic Industry, exporters, importers and other interested parties known to be concerned will be addressed separately, who may make their views known, within thirty days from the date of the publication of these preliminary findings.
- iii. Any other interested party may also make known its views within thirty days from the date of publication of these findings.
- iv. Further verification would be conducted to the extent deemed necessary.
- v. The essential facts, as per the Rules, would be disclosed before the final findings.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. and Designated Authority